

The Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Act, 2010


Act 20 of 2010

Keyword(s):

Rajasthan Panchayat, Backward Classes, Block, Chaiman, Finance Commission, Panchayati Raj Institution, Partly Repealed

Amendments appended: 21 of 2010, 9 of 2011, 10 of 2013, 7 of 2015, 8 of 2015

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज—पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	भाद्र 24, बुधवार, शाके 1932—सितम्बर 15, 2010 <i>Bhadra 24, Wednesday, Saka 1932—September 15, 2010</i>	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 15, 2010

संख्या प. 2 (29) विधि/2/2010.—राजस्थान राज्य विधान—मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 सितम्बर, 2010 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2010

(2010 का अधिनियम संख्यांक 20)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 सितम्बर, 2010 को प्राप्त हुई)

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान—मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 89 का संशोधन.—राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 89 में,—

(क) उप-धारा (1) में, अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न “:” के स्थान पर विराम चिह्न “।” प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ख) उप-धारा (1) का विद्यमान परन्तुक हटाया जायेगा।

(ग) उप-धारा (6) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “उप-धारा (2) के खण्ड (i), (ii) और (iv) में विनिर्दिष्ट पदों पर

37 (2) राजस्थान राज-पत्र, सितम्बर 15, 2010 भाग 4 (क)

और उप-धारा (3) के अधीन काडर में सम्मिलित पदों पर" हटायी जायेगी; और

(घ) विद्यमान उप-धारा (6-क) हटायी जायेगी।

3. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 90 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 90 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 89 की उप-धारा (2) के खण्ड (iii) और (v) में विनिर्दिष्ट पदों को छोड़कर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 89 की उप-धारा (2) के खण्ड (v) में विनिर्दिष्ट पदों को छोड़कर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

कपिल भार्गव,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)**

NOTIFICATION

Jaipur, September 15, 2010

No. F. 2 (29) Vidhi/2/2010.—In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Panchayati Raj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010 (2010 Ka Adhiniyam Sankhyank 20) :—

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT)
ACT, 2010**

(Act No. 20 of 2010)

**[Received the assent of the Governor on the 13th day of
September, 2010]**

An

Act

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows:-

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, सितम्बर 15, 2010 37 (3)

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall come into force at once.


2. Amendment of section 89, Rajasthan Act No. 13 of 1994.— In section 89 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), hereinafter referred to as the principal Act,—

- (a) in sub-section (1), for the existing punctuation mark ":", appearing at the end, the punctuation mark "." shall be substituted;
- (b) the existing proviso of sub-section (1) shall be deleted;
- (c) in sub-section (6), the existing expression "on the posts specified in clauses (i), (ii) and (iv) of sub-section (2) and on the posts encadred under sub-section (3)" shall be deleted; and
- (d) the existing sub-section (6-A) shall be deleted.

3. Amendment of section 90, Rajasthan Act No. 13 of 1994.— In clause (a) of sub-section (2) of section 90 of the principal Act, for the existing expression "except the posts specified in clause (iii) and (v) of sub-section (2) of section 89", the expression "except the posts specified in clause (v) of sub-section (2) of section 89" shall be substituted.

कपिल भार्गव,

Principal Secretary to the Government.

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज—पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	भाद्र 24, बुधवार, शाके 1932—सितम्बर 15, 2010 <i>Bhadra 24, Wednesday, Saka 1932—September 15, 2010</i>	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अर्धनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(गुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 15, 2010

संख्या प.2 (32) विधि/2/2010.—राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अर्धनियम, जिसे राज्यपाल महोदय को अनुमति दिनांक 13 सितम्बर, 2010 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सवसाधारण का सूचनाथ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अर्धनियम, 2010 (2010 का अर्धनियम संख्यांक 21)

[राज्यपाल महोदय को अनुमति दिनांक 13 सितम्बर, 2010 को प्राप्त हुई]

राजस्थान पंचायती राज अर्धनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए अर्धनियम।

भारत गणराज्य के इकसठव वष म राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अर्धनियम बनाता है, अथात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**-(1) इस अर्धनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अर्धनियम, 2010 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **1994 के राजस्थान अर्धनियम सं. 13 को धारा 91-क का अंतःस्थापन.**—राजस्थान पंचायती राज अर्धनियम, 1994 (1994 का

41 (2) राजस्थान राज-पत्र, सितम्बर 15, 2010 भाग 4 (क)

अर्धनियम सं.13), को विद्यमान धारा 91 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"91-क जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी को अनुशासनिक शक्तियां.-(1) इस अर्धनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी,-

(क) पंचायती राज संस्था के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से भिन्न समस्त अधिकारियों और कमचारियों के मामले में, चाहे वे ऐसी पंचायती राज संस्था द्वारा नियुक्त किये गये हों या राज्य सरकार द्वारा, जिला कार्यक्रम समन्वयक को; और

(ख) पंचायती राज संस्था के ब्लॉक और ग्राम स्तर पर, धारा 79 में निर्दिष्ट अधिकारियों से भिन्न अधिकारियों और कमचारियों के मामले में, कार्यक्रम अधिकारी को,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अधीन या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को किसी भी अन्य स्कीम के अधीन उन्हें समनुदेशित कर्तव्यों और कृत्यों के संबंध में ऐसे अधिकारियों या कमचारियों द्वारा कारित अवचार के संबंध में ऐसे अधिकारियों और कमचारियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के अर्धनियम अन्तर्विष्ट करने के लिए प्र

किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी प्रकार के अर्धनियम अन्तर्विष्ट करने के लिए प्र

किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी प्रकार के अर्धनियम अन्तर्विष्ट करने के लिए प्र

किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी प्रकार के अर्धनियम अन्तर्विष्ट करने के लिए प्र

प्रति व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी प्रकार के अर्धनियम अन्तर्विष्ट करने के लिए प्र

(2) - (1) के अन्तर्गत, -

किसी व्यक्ति के विरुद्ध (किसी भी प्रकार के अर्धनियम अन्तर्विष्ट करने के लिए प्र

) के अन्तर्गत, 1958 के अधिनियम 13, 14, 16, 17 और 18

41 (4) राजस्थान राज-पत्र, सितम्बर 15, 2010 भाग 4 (क)

- श्री
- सूचना
- (i) "क्रान्ति" त राष्ट्रीय ग्र
 1 फी 2005 (2005 केन्द्रीय
 42) परिभाषित क्र
 न फि प्रे केन्द्रीय ज
 1 फि सा रु
 फि फि 1 मे फि
- (ii) "कायक्रम अधिकारो" त गांधी राष्ट्रीय ग्र
 1 अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय
 42) म यथा परिभाषित कायक्रम अधिकारो
 अभिप्रेत है और इसम केन्द्रीय ज 1
 किसी योजना म या उसके अधीन इस रूप फि फि
 कोई अधिकारो सम्मिलित है
- (iii) " त राष्ट्रीय ग्र 1 सा " ,
 त राष्ट्रीय ग्र 1 फि फि ,
 2005 (2005 केन्द्रीय फि फि 42) 1 4
 1 - (1) ज द फि फि
 सा फि प्रे "

फि

प्रमुख शासन सचिव।

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, सितम्बर 15, 2010 41 (5)

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION**

Jaipur, September 15, 2010

No. F. 2 (32) Vidhi/2/2010.—In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Panchayati Raj (Diviteeya Sanshodhan) Adhiniyam, 2010 (2010 Ka Adhiniyam Sankhyank 21) :—

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (SECOND
AMENDMENT) ACT, 2010**

(Act No. 21 of 2010)

**[Received the assent of the Governor on the 13th day of
September, 2010]**

An

Act

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Second Amendment) Act, 2010.

(2) It shall come into force at once.

2. Insertion of section 91-A, Rajasthan Act No. 13 of 1994.—After the existing section 91 of the Rajasthan Panchayati

41 (6) राजस्थान राज-पत्र, सितम्बर 15, 2010 भाग 4 (क)

Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), the following new section shall be inserted, namely:—

“91-A. Disciplinary powers of District Programme Coordinator and Programme Officer.—(1) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force,—

- (a) in the case of all the officers and servants, other than the Chief Executive Officer, of a Panchayati Raj Institution, whether appointed by such Panchayati Raj Institution or the State Government, the District Programme Coordinator; and
- (b) in the case of all the officers and servants, other than the officers referred to in section 79, of a Panchayati Raj Institution at block and village level, the Programme Officer—

shall have power to conduct disciplinary proceedings against, and to inflict punishment on, such officers and servants in respect of the misconduct committed by such officers or servants in connection with the duties and functions assigned to them under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme or under any other scheme of the Central Government or the State Government :

Provided that no person shall be dismissed or removed from service in exercise of the powers under this sub-section unless the authority exercising power under this sub-section is appointing authority of such person.

(2) Subject to the provisions of sub-section (1), rules 13, 14, 16, 17 and 18 of the Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1958, as amended from time to time, shall apply to the disciplinary

proceedings and punishment under this section with such modifications as may be necessary including the modification that references to appointing authority or disciplinary authority therein shall be construed as including reference to the District Programme Coordinator and the Programme Officer.

(3) An appeal may be preferred—

(a) against an order made by the Programme Officer to the District Programme Coordinator; and

(b) against an order made by the District Programme Coordinator to the State Government.

(4) An appeal may be preferred under sub-section (3) within a period of ninety days from the date of the order appealed against and the time taken for obtaining a copy of such order shall be excluded from the said period.

(5) Every order made by the District Programmed Coordinator or the Programme Officer shall be endorsed and communicated immediately to the appointing authority and to the officer to whom the officer or servant, against whom order is made, is subordinate and such superior officer shall be bound to execute such order.

(6) For the removal of doubts it is hereby clarified that nothing in this section shall be construed as diminishing the powers of any other disciplinary authority under this Act or any other law for the time being in force, however, if any action has been initiated or taken against any officer or servant under this section, no action shall be initiated or taken by any other authority on the basis of same facts or conduct.


41 (8) राजस्थान राज-पत्र, सितम्बर 15, 2010 भाग 4 (क)

Explanation.—For the purposes of this section,—

- (i) “District Programme Coordinator” means the District Programme Coordinator as defined in the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (Central Act No. 42 of 2005) and includes an officer designated as such in or under any scheme of the Central Government or the State Government;
- (ii) “Programme Officer” means the Programme Officer as defined in the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (Central Act No. 42 of 2005) and includes an officer designated as such in or under any scheme of the Central Government or the State Government; and
- (iii) “Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme” means the Scheme notified by the State Government under sub-section (1) of section 4 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (Central Act No. 42 of 2005).”.

कपिल भार्गव,

Principal Secretary to the Government.

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज—पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 6, रविवार, शाके 1933—मार्च 27, 2011 <i>Chaitra 6, Sunday, Saka 1933—March 27, 2011</i>	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 27, 2011

संख्या प. 2 (16)/विधि/2/2011.—राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2011 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2011

(2011 का अधिनियम संख्यांक 9)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2011 को प्राप्त हुई]

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. **1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 75 का संशोधन.**—राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 75 की उप-धारा (4) के परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "लेखों की सांकेतिक संपरीक्षा कर सकेगा" के स्थान पर

47 (2) राजस्थान राज-पत्र, मार्च 27, 2011 भाग 4 (क)

अभिव्यक्ति "लेखों की संपरीक्षा कर सकेगा और ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखी जायेगी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

सत्य देव टाक,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)**

NOTIFICATION

Jaipur, March 27, 2011

No. F. 2 (16) Vidhi/2/2011.— In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Panchayati Raj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011 (2011 Ka Adhiniyam Sankhyank 9):—

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ
(AMENDMENT) ACT, 2011**

(Act No. 9 of 2011)

[Received the assent of the Governor on the 25th day of March, 2011]

An

Act

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall come into force at once.

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, मार्च 27, 2011 47 (3)

2. Amendment of section 75, Rajasthan Act No. 13 of 1994.—In the proviso of sub-section (4) of section 75 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), for the existing expression “test audit of such accounts”, the expression “audit of such accounts and such audit report shall be laid before the State Legislature by the State Government” shall be substituted.


सत्य देव टाक,

Principal Secretary to the Government.

3

Government Central Press, Jaipur.



 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज—पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE <i>Extraordinary</i>
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	चैत्र 20, बुधवार, शाके 1935—अप्रैल 10, 2013 <i>Chaitra 20, Wednesday, Saka 1935—April 10, 2013</i>	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 10, 2013

संख्या प. 2 (20) विधि/2/2013.—राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 9 अप्रैल, 2013 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 10)

[राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 9 अप्रैल, 2013 को प्राप्त हुई]

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं.13 की धारा 65 का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं.13), जिसे इस अधिनियम में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 65 की उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (ख) और (ग) हटाये जायेंगे।

9(2) राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 10, 2013 भाग 4 (क)

3. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं.13 की धारा 69 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 69 के खंड (ग) के उप-खण्ड (ii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "आधा प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION**

Jaipur, April 10, 2013

No. F. 2 (20) Vidhi/2/2013.—In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Panchayati Raj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013 (2013 Ka Adhiniyam Sankhyank 10):—

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT)
ACT, 2013**

(Act No. 10 of 2013)

[Received the assent of the Governor on the 9th day of April, 2013]

An

Act

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 65, Rajasthan Act No. 13 of 1994.- The existing clauses (b) and (c) of sub-section (1) of section 65 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 10, 2013 9(3)

1994), hereinafter in this Act referred to as the principal Act, shall be deleted.

3. Amendment of section 69, Rajasthan Act No. 13 of 1994.- In sub-clause (ii) of clause (c) of section 69 of the principal Act, for the existing expression “half percent”, the expression “one percent” shall be substituted.


प्रकाश गुप्ता,

Principal Secretary to the Government.

3

Government Central Press, Jaipur.



 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज—पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	चैत्र 11, बुधवार, शाके 1937—अप्रैल 1, 2015 <i>Chaitra 11, Wednesday, Saka 1937-April 1, 2015</i>	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 1, 2015

संख्या प. 2 (4) विधि/2/2015:—राजस्थान राज्य विधान—मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 01 अप्रैल, 2015 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015

(2015 का अधिनियम संख्यांक 7)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 01 अप्रैल, 2015 को प्राप्त हुई]

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह 8 दिसम्बर, 2014 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 19 का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 1, 2015 5(2)

अधिनियम सं. 13), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 19 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (त) के पश्चात् और विद्यमान परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(थ) घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय रखता हो और उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नहीं जाता हो:" ;

(ii) विद्यमान स्पष्टीकरण को **स्पष्टीकरण-I** के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जायेगा; और

(iii) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित स्पष्टीकरण-I के पश्चात्, निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण-II.- इस धारा के खण्ड (थ) के प्रयोजन के लिए-

(i) "स्वच्छ शौचालय" से तीन दीवारों, एक दरवाजे और छत से घिरी हुई कोई जल-बंध (वाटर सील्ड) शौचालय प्रणाली या व्यवस्था अभिप्रेत है; और

(ii) "परिवार के सदस्य" से ऐसे व्यक्ति का/की पति/पत्नी, बच्चे और ऐसे व्यक्ति के साथ निवास कर रहे उसके माता-पिता अभिप्रेत हैं।"

3. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश सं. 1) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

दीपक माहेश्वरी,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)**

NOTIFICATION

Jaipur, April 1, 2015

No. F. 2 (4) Vidhi/2/2015.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the Following translation in the English language of Rajasthan Panchayati Raj (Sanshodhan) Adhinyam, 2015 (2015 Ka Adhinyam Sankhyank 7):-

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT)
ACT, 2015**

(Act No. 7 of 2015)

[Received the assent of the Governor on the 1st day of April, 2015]

An

Act

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 8th December, 2014.

2. Amendment of section 19, Rajasthan Act No. 13 of 1994.- In section 19 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), hereinafter referred to as the principal Act,-

(i) after the existing clause (p) and before the existing proviso, the following new clause shall be inserted, namely:-

“(q) does not have a functional sanitary toilet in the house and any of his family members defecate in the open.”;

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 1, 2015 5(4)

(ii) the existing Explanation shall be renumbered as **Explanation-I**; and

(iii) after the Explanation-I so renumbered, the following new Explanation shall be added, namely:-

“Explanation-II.- For the purpose of the clause (q) of this section-

(i) “sanitary toilet” means a water sealed toilet system or setup surrounded by three walls, a door and a roof; and


(ii) “family members” means spouse of such person, children and his parents living with such person.”.

3. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Ordinance, 2014 (Ordinance No. 1 of 2014) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

दीपक माहेश्वरी,

Principal Secretary to the Government.

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज—पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	चैत्र 11, बुधवार, शाके 1937—अप्रैल 1, 2015 <i>Chaitra 11, Wednesday, Saka 1937—April 1, 2015</i>	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 1, 2015

संख्या प. 2 (5) विधि/2/2015:—राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 01 अप्रैल, 2015 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2015
(2015 का अधिनियम संख्यांक 8)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 01 अप्रैल, 2015 को प्राप्त हुई]

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह 20 दिसम्बर, 2014 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 19 का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की

धारा 19 में,-

- (i) खण्ड (थ) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न ":" के स्थान पर विराम चिह्न ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा;
- (ii) इस प्रकार संशोधित विद्यमान खण्ड (थ) के पश्चात् और विद्यमान परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित नये खण्ड अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

"(द) जिला परिषद् या पंचायत समिति के सदस्य के मामले में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या उसके समकक्ष किसी बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण हो;

(ध) किसी अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत के सरपंच के मामले में, किसी विद्यालय से कक्षा 5 उत्तीर्ण हो; और

(न) किसी अनुसूचित क्षेत्र में की पंचायत से भिन्न किसी पंचायत के सरपंच के मामले में, किसी विद्यालय से कक्षा 8 उत्तीर्ण हो:"; और

- (iii) स्पष्टीकरण-II के पश्चात् निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण-III.- इस धारा के खण्ड (ध) और (न) के प्रयोजन के लिए-

(i) "अनुसूचित क्षेत्र" से भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में यथा निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत हैं; और

(ii) शब्द "विद्यालय" का वही अर्थ होगा जो उसे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) की धारा 2 के खण्ड (द) में दिया गया है।"

भाग 4 (क)

राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 1, 2015

3(3)

3. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश सं. 2) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

दीपक माहेश्वरी,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, April 1, 2015

No. F. 2 (5) Vidhi/2/2015.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the Following translation in the English language of Rajasthan Panchayati Raj(Dviteeya Sanshodhan) Adhiniyam, 2015 (2015 Ka Adhiniyam Sankhyank 8):-

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (SECOND
AMENDMENT) ACT, 2015**

(Act No.8 of 2015)

[Received the assent of the Governor on the 1st day of April, 2015]

An

Act

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Second Amendment) Act, 2015.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 20th December, 2014.

2. Amendment of section 19, Rajasthan Act No. 13 of 1994.- In section 19 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), hereinafter referred to as the principal Act,-

- (i) in clause (q), for the existing punctuation mark “:” appearing at the end, the punctuation mark “;” shall be substituted;
- (ii) after the clause (q), so amended and before the existing proviso, the following new clauses shall be inserted, namely:-
 - “(r) in case of a member of a Zila Parishad or a Panchayat Samiti, has not passed secondary school examination of the Board of Secondary Education, Rajasthan or of an equivalent Board;
 - (s) in case of a Sarpanch of a Panchayat in a Scheduled Area, has not passed class V from a School; and
 - (t) in case of a Sarpanch of a Panchayat other than in a Scheduled Area, has not passed class VIII from a School:”;
- (iii) after the Explanation-II, the following new Explanation shall be added, namely:-

“Explanation-III.- For the purpose of the clauses (s) and (t) of this section-

- (i) “Scheduled Area” means the Scheduled Area as referred to in clause (1) of article 244 of the Constitution of India; and
- (ii) the word "School" shall have the same meaning as assigned to it in clause (n) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory

Education Act, 2009 (Central Act No. 35 of 2009).”.

3. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Panchayati Raj (Second Amendment) Ordinance, 2014 (Ordinance No. 2 of 2014) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

दीपक माहेश्वरी,

Principal Secretary to the Government.

5

Government Central Press, Jaipur.